न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 23/2018

प्रार्थी

भींयाराम पुत्र कोजाराम, जाति सरगरा, निवासी गांव मोगड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचाायत जरिये सरपंच मोगड़ा।
2. राजूराम पुत्र दुरगाराम
3. मेहराराम पुत्र दुरगाराम

जाति सरगरा, निवासी– गांव मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 84 मिसल संख्या 15 सन् 1970–1971 दिनांक 13.09.1973 जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के पक्ष मे जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता हनुमान प्रजापति (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता भंवरसिंह गौड़ (अप्रार्थी संख्या 2 व 3)।

–आदेश – दिनांक :**21.01.2020**

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने पिता कोजाराम के समय से ही मोगडा खुर्द में रहता है। जिनके साथ ही प्रार्थी का भाई दुर्गाराम एवं परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। प्रार्थी के पिता के निधन के बाद प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई वगैरा निवासी कर रहे है। प्रार्थी का भी रहवासीय मकान बना हुआ है। उक्त रहवासीय जायदाद में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी के भाई स्व0 दुर्गाराम का 1/2 हिस्सा निहित है तथा पारिवारिक व्यवस्था अनुसार अलग–अलग घर बने हुए है। दुर्गाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने सारी भूमि का पट्टा विलेख संख्या 84 मिसल संख्या 15 सन् 1970–1971 दिनांक 13.09.1973 जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दुर्गाराम के नाम जारी होना बताया। उक्त पट्टा विलेख से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत मोगडा कला से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरसिंह गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख के रूप में मात्र पट्टे की मूल प्रति प्राप्त हुई। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि जिस भू–भाग का पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया है वो भूभाग प्रार्थी का पैतृक पुश्तैनी व कब्जासुदा है जिस पर प्रार्थी के पिता कोजाराम काबिज रहे तथा कोजाराम के जीवनकाल से ही प्रार्थी व अप्रार्थी के वर्षों पुराने अलग–अलग रहवासीय मकान बने हुए है जबकि ग्राम पंचायत ने पूरे भूभाग का पट्टा अप्रार्थी के पूर्वज के नाम से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये तथा बिना मौका निरीक्षण किये जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, न ही मौके के अनुसार मौका रिपोर्ट बनाई गई और न ही किसी प्रकार के कोई आपत्तियों संबंधित नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी का 50 वर्षों से अधिक समय से रहवासीय मकान बना हुआ है, उसके बाद भी मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी कानूनन म्याद अवधि के बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी प्रारम्भ से होने के बावजूद गलत तथ्यों का उल्लेख कर निगरानी देर से प्रस्तुत करने की माफी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, निगरानीकार की उक्त निगरानी म्याद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के निरन्तर में बतलाया कि निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार के पिता ने गैर कानूनी तरीके से पट्टा बनवाया है, उक्त तथ्य गलत है। गैर निगरानीकार के पिता के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है तथा उनके देहान्त के पश्चात् विवादग्रस्त जायदाद के के मालिक व स्वामी कानूनन गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 है, जिसमें निगरानीकार का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है। गैर निगरानीकार द्वारा अपनी मालिकाना हक की पट्टासुदा जायदाद पर निर्माण कार्य शुरू किया, तब निगरानीकार द्वारा निर्माण कार्य में दखलअन्दाजी व रूकवाने की नियत से गलत तथ्यों व आधारों पर उक्त पंचायत निगरानी पेश की गई है, जो निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। निगरानी का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। निगरानी के साथ प्रार्थी ने निगरानी में हुए विलम्ब को क्षमा करने का प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश करते हुए बतलाया कि दिनांक 13.08.2018 को अप्रार्थी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को कब्जासुदा भूमि से बेदखल करने लगे, इस पर प्रार्थी द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने पर अप्रार्थी द्वारा तथाकथित पट्टा होने की बात कहने पर तथा ग्राम पंचायत से पट्टे की जानकारी प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी होना

बताया जिसके समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी प्रारम्भ से होने के बावजूद गलत तथ्यों का उल्लेख कर निगरानी देर से प्रस्तुत करने की माफी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत निगरानी मियाद से बाधित नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष अन्य प्रकरणों की सुनवाई के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ द्वारा WLC(Raj) 2000(2) पेज–01 एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 1688/83 निर्णय दिनांक 18.02.2000 प्रस्तुत हुआ जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Panchayat Rules 1972, R. 272-Exercise of Revisional power by Collector u/s 27-A of Act-Limitation- No period of limitation fixed by provision- Where statute omits to fix any period of limitation, court can not prescribe any period of limitation- In absence of period fixed by statute, power has to be exercised within reasonable time depending on facts of given case, though in cases, of fraud, misrepresentation, collusion, lack of jurisdiction, violation of statutory provisions and orders being void or against public interest, power can be exercised at any time- By not reading requirement of reasonable time in provision, same would become unconstitutional."

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2015 पेज–356 पर दिये गये न्याय निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ में ने कालबाधित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया " No time limit has been fixed for reference under section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity) and thus a reference can made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of the each case. Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land "

उपरोक्त न्याय निर्णयों में माननीय खण्डपीठ ने उचित समय सीमा में दायर करने के निर्देश दिये गये परन्तु उचित समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर निर्भर रहते हुए युक्तियुक्त अवधि में किया जाना कहा परन्तु कपट, दुर्व्यपदेशन, दुःसन्धि, अधिकारिता के अभाव या कानूनी उपबन्धों के उल्लघन के मामलों में या आदेशों के शून्य या लोकनीति के प्रतिकूल होने की दशा में, शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, बतलाया गया। अतः उक्त प्रस्तुत निगरानी भी उचित समय सीमा में मानते हुए निस्तारण किया जाना निश्चित करते है। पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। यह तथ्य निर्विवादित है कि जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता दुरगाराम को जारी किया गया है उस भूखण्ड पर प्रार्थी व अप्रार्थी के अलग–अलग घर बने हुए है। प्रार्थी के नाम से बिजली का संबंध लिया हुआ है। इस बात का खंडन अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी नहीं किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का भी वर्षों से विवादित भूखण्ड पर कब्जा है। इन

परिस्थितियों में केवल अप्रार्थी के पिता के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना अवैधानिक है। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मुख्य अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मात्र पट्टे की मूल प्रति उपलब्ध करवाई गई लेकिन अन्य रिकॉर्ड जैसे पट्टे के लिये आवेदन–पत्र, मूल मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि की गई। कथित पट्टा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के अन्तर्गत जारी किया जाना बताया। उक्त नियम के तहत नियम 256 से 267 तक आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रिकॉर्ड (कथित आबादी पट्टा विलेख संख्या 84, दिनांक 13.9.73) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने कोई संकल्प नहीं लिया। नियम 256 के तहत पंचायत से भूमि खरीद करने का आवेदन करना पड़ता है, 258 के तहत मौका निरीक्षण के लिए टीम गठित करना, नियम 260 के तहत आपत्तियाँ आमंत्रित करने का नोटिस जारी करना पड़ता है परन्तु कथित पट्टा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत हुआ, न ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों की पालना की। आलौच्य पट्टा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता दुरगाराम के नाम से 150 वर्गगज तक निःशुल्क एवं 2862 वर्गगज भूमि मात्र 56/– रूपये आंक कर पट्टा जारी किया गया। नियम 265 के तहत निलामी की पुष्टि करने का प्रावधान है, इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है तथा जब पट्टे में वर्णित भू–भाग पर प्रार्थी का कब्जा है तो उस भू–भाग पर केवल अप्रार्थी को पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों का उंल्लघन किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर दुरगाराम पुत्र कोजाराम जाति सरगरा निवासी मोगड़ा खुर्द को ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दुरगाराम के नाम से जारी पट्टा विलेख संख्या 84 मिसल संख्या 15 सन् 1970–1971 दिनांक 13.09.1973 को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत मोगडा कला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.02.11 15:37:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: